तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
29.1.2020	पत्रावली पेश हुई । उभय पक्ष उपस्थित । बहस अंतरिम निषेधाज्ञा पर सुनी गई । अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि खसरा नम्बर पुराना 711 तादादी 24 बीघा 2 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 923 तादादी 6.09 हैक्टयर रोही शेरूणा प्रार्थीगण के पिता स्व. रूघाराम एवं अप्रार्थी संख्या स्व. रूघाराम एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 के पिता तथा अप्रार्थीगण संख्या 5 ता 7 के दादा स्व. उमाराम की पुश्तैनी संयुक्त धारण की रिकार्डेड खातेदारी भूमि थी । वादगत भूमि पर संयुक्त कब्जा काश्त तद्नुसार प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 से 7 का 1/2 हिस्सा बहिस्सा चला आ रहा है । दिनांक 7.6.1964 को उमा वल्द सदू के नाम का अंकन कर दिया व उसी के अनुरूप वादगत खेत के लगान व रकम रूघा व रूघा अदा करते आ रहे है । दिनांक 14.1.2013 को अप्रार्थीगण वादगत भूमि के मौके पर वल्द अजनबी लोगों के साथ आये व धमकी दी की वादगत खेत को विक्रय करकेक रहेंगे । अगर वादगत खेत को कव्रय कर दिया जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जिसका खामियाजा रूपयों से पूरा नहीं हो सकता । प्रार्थीगण का वादगत भूमि प्रथम दृष्टया सह खातेदारान का टाईटल है एवं कब्जा काश्त है । एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है । अतः अप्रार्थीगण को पाबन्द करें कि ताफैसला वाद वादगत भूमि में प्रवेश न करें, कब्जा काश्त में दखलअंदाजी न करें एवं विक्रय न करें । खसरा नम्बर 711 के नये खसरा नम्बर 923 तादादी 6.09 हैक्टयर वाके रोहीशेरूणा वादगत खेत सम्वत 2010 से पूर्व से ही अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के पिता व अप्रार्थी संख्या 6 के दादा उमाराम के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में रहा है । अप्रार्थी ने लाखों रूपये खर्च कर अपनी भूमि को उपजाऊ बनाया है । मौके पर अप्रार्थीगण का लगातार कब्जा काश्त है तथाा लगान दे रहे है । प्रार्थीगणों द्वारा 50 वर्ष बाद वाद दायर किया है । जमाबन्दी सम्वत 2010 से 2016 तक इनके नाम से खातेदारी खेत नहीं रहे है लगातार कब्जा काश्त होना जरूरी है । प्रार्थीगणों द्वारा इस बाबत कोई दस्तावेज पेश नहीं किये है । प्रार्थी द्वारा सम्वत 2010 के बाद रिकार्ड से यह साबित नहीं किया है कि कब्जा प्रार्थीगण का हों । न्याय के सिद्धांत के अनुसार खातेदार के विरूद्ध अंतरिम निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती । अपूर्णनीय क्षति हमें होगी सुविधा का संतुलन एवं प्रथम दृष्टया प्रकरण हमारे पक्ष में है । अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें । बहस पर मनन किया गया । पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । जमाबंदी सम्वत 2016, 2019 में उमा व रूगा पि. सदू का नाम अंकित है । जमाबन्दी सम्वत 2064–2067 में मोडाराम वगैरहा का नाम अंकित है । प्रार्थी एवं अप्रार्थीगणों दोनों के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित है । अप्रार्थी वर्तमान जमाबंदी के अनुसार रिकार्डेड खातेदार है । रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अंतरिम निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती । प्रकरण में शेष तथ्य वाद के द्वारा ही तय किये जा सकेंगे । यदि वाद के बीच मौका रिकार्ड में परिवर्तन किया जाता है तो वाद में पेचिदगियां बढ जायेगी तथा अनेक कठिनाईयों उत्पन्न होगी । अतः वादी प्रतिवादी को ताफेसला वाद जरिये अंतरिम निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें । पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हों । आदेश सुनाया गया । (राकेश कुमार जोन)	

Scanned by CamScanner